

कार्यालय.....

क्रमांक:

दिनांक:

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान सरकार वित्त (नियम) विभाग के अशा.टीप.सं.प.1(1) वित्त/गुप-2/89 जयपुर दिनांक 21-06-2023 द्वारा सहमति प्रदत्त की गई है कि “विभिन्न मन्त्रालयिक कर्मचारी संघों के आह्वान पर अधीनस्थ विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं के मन्त्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दिनांक 10-04-2023 से 12-06-2023 तक के सामूहिक आंदोलन /हड़ताल/अवकाश अवधि का उपार्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश वित्त विभाग आदेश क्रमांक प.1(1)वित्त/गुप-2/89 दिनांक 14-03-2022 के प्रावधान में शिथिलता प्रदान करते हुए स्वीकृत कर नियमित किए जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है”

अतः उक्त के अनुसरण में दिनांक 10-04-2023 से 12-06-2023 की अवधि में सामूहिक आंदोलन/हड़ताल/अवकाश पर रहे निम्न कार्मिक को उनके आवेदन पर निम्न प्रकार अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.स.	नाम कार्मिक एवं पद	सामूहिक आंदोलन /हड़ताल/अवकाश में शामिल होने की अवधि	स्वीकृत अवकाश की अवधि (दिनांक..से ....तक )	स्वीकृत अवकाश का प्रकार	स्वीकृत दिनों की संख्या	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

नोट :-

1. कार्मिक दिनांक 13-06-2023 को अपने कर्तव्य पर उपस्थित हो गए है।
2. स्वीकृत अवकाश का इंद्राज कार्मिक की मूल सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
3. स्वीकृत अवकाश अवधि वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभों के लिए नियमित सेवाकाल के रूप मान्य होगी।



Sign &amp; Seal

क्रमांक:

दिनांक:

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी .....
2. लेखा / संस्थापन शाखा स्थानीय कार्यालय।
3. सम्बन्धित कार्मिक श्री .....
4. कार्यालय प्रति।

Sign &amp; Seal

मार्गदर्शन: Paymanager Info